

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर केम्प गंगापुरसिटी
पीठासीन अधिकारी-श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 46/16

तारीख रजू- 01/03/2016

सुखलाल पुत्र ठण्डी जाति मीना निवासी डोब तहसील वजीरपुर।

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, वजीरपुर।

-----अपीलार्थी

-----रेस्पो0

निर्णय

दिनांक-01/06/2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 377/15 में पारित आदेश दिनांक 14/10/2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम डोब की आराजी खसरा नम्बर 1009 रकवा 0.18 हैक्टर किस्म गै0मु0चरागाह पर संवत् 2072 खरीफ में अनाधिकृत रूप से जोत लगाकर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने व अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत में रखा गया।

अपीलार्थी सुखलाल स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुना तो उसने अवगत कराया कि अपीलार्थी ने ग्राम डोब की आराजी खसरा नम्बर 1009 रकवा 0.18 हैक्टर किस्म गै0मु0चरागाह पर से अपना कब्जा हटा लिया है। मोके पर कोई कब्जा नहीं है तथा इस बाबत जॉच करवाने हेतु निवेदन किया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने भविष्य में अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने की सहमति भी जताई है तथा अतिक्रमित आराजी से कब्जा हटाने व भविष्य में अतिक्रमित आराजी पर कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

पेरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी की सजा निरस्त करने से पूर्व मोके की जॉच करवायी जावे। यदि अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर कब्जा नहीं हो तो ही सिविल कारावास की सजा निरस्त फरमायी जावे अन्यथा यथावत रखी जावे।

अपीलार्थी व पेरोकार सरकार को सुनने के पश्चात अतिक्रमित आराजी पर कब्जे संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार, वजीरपुर से तलब की गई जिसने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर कोई फसल काशत नहीं होना खसरा मोके पर खाली होना बताया है। अतः राजस्व लोक अदालत की भावना से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली व शास्ति का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा अपीलाधीन निर्णय में अपीलार्थी के विरुद्ध पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01/06/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
केम्प गंगापुरसिटी